सत्यमेव जयते

राजस्थान सरकार

वार्षिक प्रशासनिक प्रतिवेदन
वर्ष : 2016–2017

राजस्थान कर बोर्ड, अजमेर

Website : www.taxboard.rajasthan.gov.in

Email : rajtaxboard@yahoo.co.in

0145- 2627803 (Phone & Fax)

<u>विषय सूची</u>

क्रम संख्या	विषय	पृष्ठ संख्या
1.	प्रस्तावना, गठन	3
2.	संगठनात्मक ढांचा, प्रशासनिक एवं न्यायिक पद	4
3.	वर्तमान गठन, बजट स्थिति, पुस्तकालय एवं वर्षवार प्रकरणों की स्थिति	5
4.	वर्ष 2016 को प्रकरणों की स्थिति	6
5.	पदस्थापित अधिकारीगणों के कार्यालय/निवास दूरभाष नम्बर एवं सूचना का अधिकार के अंतर्गत लोक सूचना अधिकारी एवं अपीलेट अधिकारी	7
6.	सार संक्षेप	8

वार्षिक प्रशासनिक प्रतिवेदन वर्ष 2016 – 2017

प्रस्तावना :

1.0 राजस्थान विक्रय कर अधिकरण की स्थापना दिनांक 01.05.1985 को विक्रय कर से सम्बन्धित लम्बित प्रकरणों (द्वितीय अपील) का शीघ्र निपटारा करने व निर्णयों में एकरूपता रखने के उद्देश्य से की गई थी ताकि विक्रय कर अधिनियम व नियमों की सुसंगत व्याख्या की जा सके। अधिकरण के गठन से पूर्व विक्रय कर से संबंधित प्रकरणों में द्वितीय अपील के प्रावधान नहीं थे और उपायुक्त (अपील्स), वाणिज्यिक कर विभाग के प्रथम अपील आदेश के विरूद्ध केवल मात्र निगरानी ही राजस्व मण्डल में प्रस्तुत हो सकती थी। दिनांक 01.10.1995 से राजस्थान विक्रय कर अधिकरण का नाम परिवर्तित कर **'राजस्थान कर बोर्ड'** कर दिया गया।

2.0 राजस्थान वित्त विधेयक, 2005 के द्वारा राजस्थान स्टाम्प अधिनियम, 1998 की धारा–2 में संशोधन कर राजस्व मण्डल, राजस्थान, अजमेर के स्थान पर राजस्थान कर बोर्ड, अजमेर को 'चीफ कन्ट्रोलिंग रेवेन्यू ऑथोरिटी' घोषित किया गया है, जिसके अन्तर्गत राजस्थान कर बोर्ड को स्टाम्प सम्बन्धित प्रकरणों की निगरानी सुनने, माननीय उच्च न्यायालय को रेफेरेन्स भिजवाने, पेनल्टी और स्टाम्प ड्यूटी के रिफण्ड आदि की शक्तियां प्रदान की गयी है। उक्त वित्त अधिनियम, 2005 का संशोधन दिनांक 24.03.2005 से प्रभावी हुआ है। जिसके अन्तर्गत राजस्व मण्डल, अजमेर में लम्बित स्टाम्प सम्बन्धित विवादित प्रकरण राजस्थान कर बोर्ड, अजमेर को स्थानान्तरित किये गये है जिनकी सुनवायी एवं निस्तारण कर बोर्ड द्वारा नियमित रूप से की जा रही हैं। राजस्थान वित्त अधिनियम, 2006 में कर बोर्ड को भूमि कर से संबंधित निगरानी सुनने की अधिकारिता दिनांक 25.09.2006 की अधिसूचना द्वारा प्रदान की गयी है।

2.1 राजस्थान आबकारी (संशोधन) अधिनियम, 2007 के द्वारा राजस्थान आबकारी अधिनियम, 1950 की धारा 9 क में हुए संशोधन के पूर्व आबकारी मामलों में आयुक्त आबकारी के निर्णयों के विरूद्ध राजस्व मण्डल, अजमेर को अपील सुनने की अधिकारिता थी। उक्त संशोधन दिनांक 06.06.2007 से प्रभावी हुआ है एवं तदनुसार आबकारी आयुक्त के आदेशों के विरूद्ध अपील/रिवीजन की सुनवायी की अधिकारिता राजस्थान कर बोर्ड को प्राप्त हो गयी है। उक्त संशोधन के पश्चात् राजस्व मण्डल, अजमेर में लम्बित आबकारी से संबंधित अपीलें/निगरानियां राजस्थान कर बोर्ड, अजमेर को स्थानान्तरित की गयी हैं जिनकी सुनवायी कर, निस्तारण कर बोर्ड, अजमेर की खण्डपीठ द्वारा किया जा रहा है।

3.0 ***गठन :***

कर बोर्ड में एक अध्यक्ष एवं 6 सदस्यों के पद सृजित है तथा वर्तमान में एक अध्यक्ष एवं पांच सदस्य पदस्थापित है। कर बोर्ड में पदस्थापित सदस्यों को वेतन एवं भत्ते राजस्थान मूल्य परिवर्धित कर नियम, 2006 के नियम 9(7)(क) के अनुसार भारतीय प्रशासनिक सेवा के सुपर टाईम स्केल स्तर के अधिकारी के समान देय है। कर बोर्ड में सदस्य पद पर चयन राजस्थान मूल्य परिवर्धित कर नियम, 2006 के नियम, 9 में निहित प्रकिया के अनुसार किया जाता है।

3.1 कर बोर्ड के न्यायिक एवं प्रशासनिक कार्य सम्पादन हेतु रजिस्ट्रार का पद सृजित है। रजिस्ट्रार पद पर दिनांक 28.01.1994 से राजस्थान वाणिज्यिक कर सेवा के चयनित/सुपर टाईम वेतन श्रृंखला के अधिकारी पदस्थापित होते है।

कर बोर्ड का संगठनात्मक ढांचा :

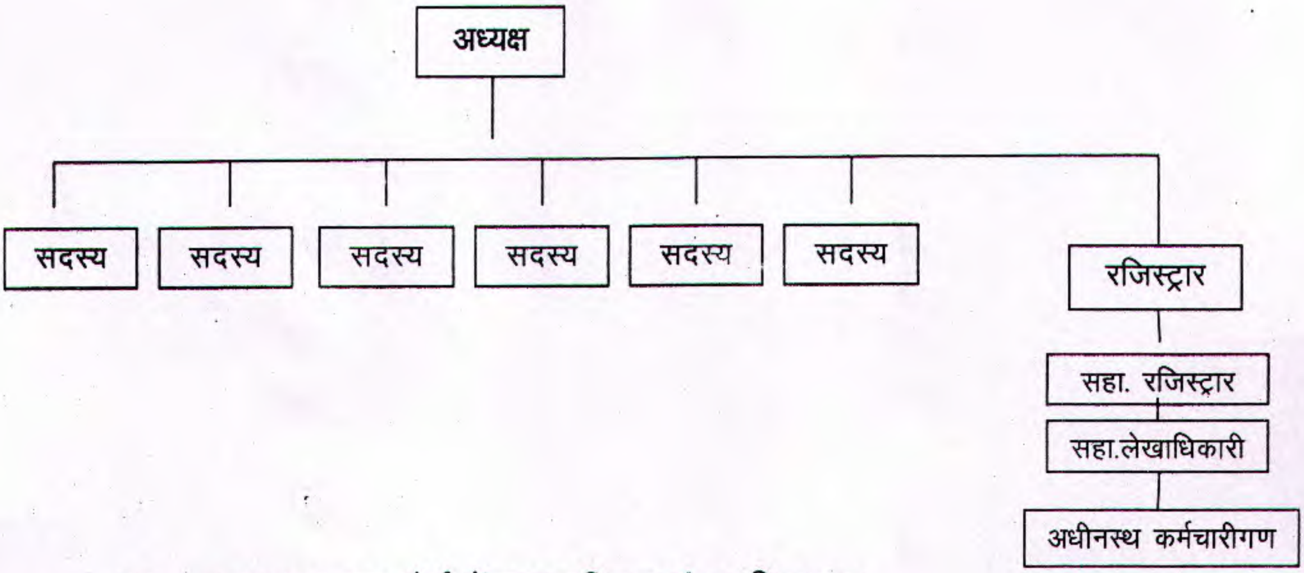

3.2 राजस्थान कर बोर्ड में प्रशासनिक एवं न्यायिक पद

क्र.सं.	पद	स्वीकृत	कार्यरत	रिक्त
1.	अध्यक्ष (आई.ए.एस.)	1	1	–
2.	सदस्य	6	5	1
3.	रजिस्ट्रार	1	1	–
4.	सहायक रजिस्ट्रार	1	1	–
5.	सहायक लेखाधिकारी ग्रेड–I	1	1	–
6.	निजी सचिव	2	2	–
7.	अतिरिक्त निजी सचिव	1	–	1
8.	निजी सहायक	1	–	1
9.	आशुलिपिक	4	–	4
10.	कनिष्ठ लेखाकार	1	1	–
11.	पुस्तकालयाध्यक्ष ग्रेड–II	1	1	–
12.	कार्या. अधीक्षक कम सहा. प्रशा. अधि.	2	–	2
13.	सहा. कार्यालय अधीक्षक	4	2	2
14.	लिपिक ग्रेड–I	7	7	–
15.	सहायक प्रोग्रामर	1	1	–
16.	लिपिक ग्रेड–II	10	5	5
17.	सूचना सहायक	2	2	–
18.	वाहन चालक	4	4	–
19.	जमादार	1	1	–
20.	चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी	14	14	–
21.	प्रोसेस सरवर	2	2	–
	योग	**67**	**51**	**16**

नोट : सहायक प्रोग्रामर के पद के विरूद्व सूचना सहायक की नियुक्ति ।

4.0 कर बोर्ड का वर्तमान गठन निम्न प्रकार से है :–

क्र.सं	नाम	पद	अवधि
1.	श्री खेमराज	अध्यक्ष	05.07.2016 से निरन्तर ....
2.	श्री सुनील शर्मा	सदस्य	25.07.2011 से निरन्तर ....
3.	श्री मदनलाल	सदस्य	25.02.2013 से निरन्तर ....
4.	श्री राजीव चौधरी	सदस्य	11.03.2016 से निरन्तर ....
5.	श्री नत्थूराम	सदस्य	24.08.2016 से निरन्तर ....
6.	श्री के.एल.जैन	सदस्य	02.11.2016 से निरन्तर ....
7.	श्री गिरधरगोपाल सिंघानियां	रजिस्ट्रार	10.07.2015 से निरन्तर ....
8.	श्री कांतिलाल जसोल	सहा.रजिस्ट्रार	29.11.2016 से निरन्तर ....

5.0 <u>बजट स्थिति</u> :

वर्ष 2016–2017 तक के बजट आवंटन एवं व्यय की स्थिति निम्न प्रकार से है :–

(राशि रूपये लाखों में)

क्र.सं.	मद	बजट आवंटन (B.E.)	दिसम्बर, 2016 तक (रू.) व्यय
1	संवेतन	350.00	236.731
2	यात्रा भत्ता	4.00	3.463
3	चिकित्सा व्यय	3.00	1.093
4	कार्यालय व्यय	25.00	17.579
5	वाहन कय	.01	0.00
6	वाहन संधारण	4.50	2.896
7	पुस्तकालय	1.25	0.801
8	वाहन किराया	8.60	5.682
9	वर्दी	0.35	0.341
10	संविदा व्यय	4.50	1.761
11	कम्प्यूटराइजेशन व्यय	5.00	3.436

6.0 <u>पुस्तकालय</u> :

कर बोर्ड में एक पुस्तकालय है, जिससे माननीय पीठ एवं अभिभाषकों के उपयोग हेतु विधि सम्बन्धी व अन्य पुस्तकें उपलब्ध करायी जाती हैं। वर्तमान में पुस्तकालय में **<u>8326</u>** पुस्तकें उपलब्ध हैं।

7.0 <u>वर्षवार प्रकरणों की स्थिति</u> :

वर्ष 2014, 2015 एवं 2016 तीन वर्षों में दायर एवं निस्तारित (विक्रय कर/स्टाम्प/भूमिकर एवं आबकारी) प्रकरणों की स्थिति निम्न प्रकार है :–

क्र.सं.	वाद	2014 (दिनांक 31.12.14)	2015 (दिनांक 31.12.15)	2016 (दिनांक 31.12.16)
1.	बकाया प्रकरण	7707	8587	9136
2.	दायर प्रकरण	2520	2477	2961
3.	निस्तारित प्रकरण	1640	1928	2483
4.	शेष प्रकरण	8587	9136	**9614**

कर बोर्ड में विचाराधीन प्रकरणों की सुनवायी एकलपीठ एवं खण्डपीठ द्वारा किये जाने का प्रावधान है। स्टाम्प एक्ट के जिन प्रकरणों में विवादास्पद कर राशि दस लाख रुपए तक है उनकी सुनवायी एकलपीठ एवं जिन प्रकरणों में यह राशि रूपये दस लाख से अधिक है, उन प्रकरणों की तथा आबकारी से संबंधित समस्त वादों की सुनवायी खण्डपीठ द्वारा एवं भूमि कर से संबंधित समस्त प्रकरणों की सुनवायी एकलपीठ द्वारा किये जाने का प्रावधान है। राज्य सरकार द्वारा जारी अधिसूचना दिनांक 10 जनवरी, 2013 द्वारा राजस्थान मूल्य परिवर्धित कर नियम, 2006 के नियम 31 के उपनियम 2 के खण्ड (iii) में किये गये संशोधन के अनुसार एकलपीठ द्वारा अपील प्रकरणों की सुनवाई की सीमा रूपये 5.00 लाख से बढ़ाकर रूपये 10.00 लाख प्रतिस्थापित की गयी हैं। कतिपय परिस्थितियों में एस.बी./डी.बी. द्वारा कोई कानूनी बिन्दु निहित होने पर दो सदस्य से अधिक सदस्यों वाली पीठ (वृहद्पीठ) को निर्णय हेतु प्रकरण संदर्भित किया जाता है।

8.0 वर्ष 2016–17 के दौरान दिसम्बर, 2016 तक प्रकरणों के निस्तारण की माहवार प्रगति निम्नानुसार रही :–

1.1.2016 को शेष प्रकरण

डी.बी.	एस.बी.	कुल प्रकरण
4878	4258	9136

वर्ष 2016

माह	दायर वाद		निस्तारित वाद		शेष		योग
	डी बी	एस बी	डी बी	एस बी	डी बी	एस बी	
					*BF 4878	4258	9136
जनवरी	177	127	103	136	4952	4249	9201
फरवरी	140	112	112	184	4980	4177	9157
मार्च	139	135	117	182	5002	4130	9132
अप्रेल	126	59	49	63	5079	4126	9205
मई	199	140	59	84	5219	4182	9401
जून	139	104	100	56	5258	4230	9488
जुलाई	112	120	59	85	5311	4265	9576
अगस्त	82	221	86	92	5307	4394	9701
सितम्बर	128	59	90	159	5345	4294	9639
अक्टूबर	88	81	118	85	5315	4290	9605
नवम्बर	118	62	80	121	5353	4231	9584
दिसम्बर	127	166	75	188	5405	4209	9614

* पिछला अग्रेसित

9.0 अजमेर मुख्यालय पर लम्बित प्रकरणों के निस्तारण हेतु प्रत्येक कार्य दिवस में तीन एकलपीठ (एस.बी.) तथा माह के प्रथम, द्वितीय एवं चतुर्थ सप्ताह के सभी कार्य दिवस एवं माह के तृतीय व पंचम् सप्ताह के अंतिम दो दिवस में खण्डपीठ (डी.बी.) द्वारा प्रकरणों की सुनवायी की जा रही है।

अजमेर मुख्यालय के अलावा राजस्थान कर बोर्ड की एकलपीठ एवं खण्डपीठ कैम्प जयपुर में प्रत्येक माह के प्रथम, तृतीय एवं पंचम् सप्ताह में योजना भवन में आयोजित की जाती है। जिसमें तृतीय एवं पंचम् सप्ताह में प्रथम तीन दिवसों में खण्डपीठ द्वारा लम्बित प्रकरणों की सुनवायी की जा रही है। इसके अतिरिक्त प्रथम सप्ताह के सभी कार्य दिवसों में तथा तृतीय सप्ताह एवं पंचम् सप्ताह के प्रथम तीन दिवसों के अतिरिक्त शेष कार्य दिवसों में एकलपीठ द्वारा कैम्प जयपुर में लम्बित निगरानी एवं अपील प्रकरणों की सुनवायी की जा रही हैं। कैम्प जयपुर में गठित खण्डपीठ व एकलपीठ में मुख्यतः जयपुर, भरतपुर, धौलपुर, अलवर, सवाईमाधोपुर, करौली, सीकर, झुन्झुंनूं, दौसा, एवं चूरू जिले के प्रकरणों की सुनवायी की जाती है। प्रकरणों के शीघ्र निस्तारण एवं वादकारों की सुविधा हेतु राजस्थान कर बोर्ड की एकलपीठ द्वारा जोधपुर/उदयपुर में भी त्रैमासिक रूप से प्रकरणों की सुनवायी की जा रही है।

बजट वर्ष 2014–15 में माननीय मुख्यमंत्री महोदया द्वारा बजट घोषणा के पैरा 407 की घोषणा के अनुसार *"डीलर्स की सुविधा के लिये राजस्थान कर बोर्ड के निर्णयों को दिनांक 01.09.2014 से वेबसाईट पर प्रकाशित किया जायेगा"*, की अनुपालना में कर बोर्ड द्वारा पारित समस्त निर्णयों का प्रदर्शन विभागीय वेबसाईट **www.taxboard.rajasthan.gov.in** पर माह जनवरी, 2014 से निरन्तर किया जा रहा है।

10. **राजस्थान कर बोर्ड में पदस्थापित अधिकारियों के कार्यालय/निवास के फोन नम्बर निम्नानुसार है :–**

क्रमांक	*नाम*	*पद*	*मोबाईल*	*कार्यालय*	*निवास*
1	श्री खेमराज	अध्यक्ष	9414064848	0145–2627903 (अजमेर) 0141–2228790 (जयपुर)	0141–2390611
2	श्री सुनील शर्मा	सदस्य	9414026983	0145–2627675	–
3	श्री मदनलाल	सदस्य	9413385864	0145–2627296	–
4	श्री राजीव चौधरी	सदस्य	9414752049	0145–2627703	0145–2630681
5	श्री नत्थूराम	सदस्य	9829348729	0145–2429740	–
6	श्री के.एल.जैन	सदस्य	9414122437	0145–2622981	–
7	श्री जी.जी. सिंघानियां	रजिस्ट्रार	9413973856	0145–2627803	–
8	श्री कांतिलाल जसोल	सहायक रजिस्ट्रार	9929275767	0145–2627803	–

11. **सूचना के अधिकार के अंतर्गत :–**

: लोक सूचना अधिकारी :
श्री गिरधरगोपाल सिंघानिया,रजिस्ट्रार
Website : www.taxboard.rajasthan.gov.in
Email : rajtaxboard@yahoo.co.in
0145- 2627803 (Phone & Fax)
9413973856 (Mo.)

: विभागीय अपीलेट ऑथोरिटी :
श्री खेमराज, अध्यक्ष
Website : www.taxboard.rajasthan.gov.in
Email : rajtaxboard@yahoo.co.in
0145- 2627903 (Phone)
9414064848 (Mo.)

12. : मुख्य सतर्कता अधिकारी :
श्री गिरधरगोपाल सिंघानिया,रजिस्ट्रार
Website : www.taxboard.rajasthan.gov.in
Email : rajtaxboard@yahoo.co.in
0145- 2627803 (Phone & Fax) 9413973856 (Mo.)

सार संक्षेप :

राजस्थान विक्रय कर अधिकरण की स्थापना दिनांक 01.05.1985 को विक्रय कर से सम्बन्धित लम्बित प्रकरणों (द्वितीय अपील) का शीघ्र निपटारा करने व निर्णयों में एकरूपता रखने के उद्देश्य से की गई थी। दिनांक 01.10.1995 से राजस्थान विक्रय कर अधिकरण का नाम परिवर्तित कर 'राजस्थान कर बोर्ड' कर दिया गया।

राजस्थान वित्त विधेयक, 2005 के द्वारा राजस्थान स्टाम्प अधिनियम, 1998 की धारा–2 में संशोधन कर राजस्थान कर बोर्ड को स्टाम्प सम्बन्धित प्रकरणों की निगरानी सुनने, माननीय उच्च न्यायालय को रेफेरेन्स भिजवाने, पेनल्टी और स्टाम्प ड्यूटी के रिफण्ड आदि की शक्तियां प्रदान की गयी है। साथ ही राजस्थान वित्त अधिनियम, 2006 में कर बोर्ड को भूमि कर से संबंधित निगरानी सुनने की अधिकारिता दिनांक 25.09.2006 की अधिसूचना द्वारा प्रदान की गयी है।

राजस्थान आबकारी (संशोधन) अधिनियम, 2007 के द्वारा राजस्थान आबकारी अधिनियम, 1950 की धारा 9 क में हुए संशोधन के पूर्व आबकारी मामलों में आयुक्त आबकारी के निर्णयों के विरूद्ध राजस्व मण्डल, अजमेर को अपील सुनने की अधिकारिता थी। उक्त संशोधन दिनांक 06.06.2007 से प्रभावी हुआ है एवं तदनुसार आबकारी आयुक्त के आदेशों के विरूद्ध अपील/रिवीजन की सुनवायी की अधिकारिता राजस्थान कर बोर्ड को प्राप्त हो गयी है।

कर बोर्ड में एक अध्यक्ष एवं 6 सदस्यों के पद सृजित है तथा वर्तमान में एक अध्यक्ष एवं पांच सदस्य पदस्थापित है। कर बोर्ड के न्यायिक एवं प्रशासनिक कार्य सम्पांदन हेतु रजिस्ट्रार का पद सृजित है। रजिस्ट्रार पद पर राजस्थान वाणिज्यिक कर सेवा के चयनित/सुपर टाईम वेतन श्रृंखला के अधिकारी पदस्थापित होते है।

कर बोर्ड में विचाराधीन प्रकरणों की सुनवायी एकलपीठ एवं खण्डपीठ द्वारा किये जाने का प्रावधान है। कतिपय परिस्थितियों में एस.बी./डी.बी. द्वारा कोई कानूनी बिन्दु निहित होने पर दो सदस्य से अधिक सदस्यों वाली पीठ (वृहद्पीठ) को निर्णय हेतु प्रकरण संदर्भित किया जाता है।

अजमेर मुख्यालय के अलावा राजस्थान कर बोर्ड की एकलपीठ एवं खण्डपीठ कैम्प जयपुर में प्रत्येक माह के प्रथम, तृतीय एवं पंचम् सप्ताह में योजना भवन में आयोजित की जाती है। प्रकरणों के शीघ्र निस्तारण एवं वादकारों की सुविधा हेतु राजस्थान कर बोर्ड की एकलपीठ द्वारा जोधपुर/उदयपुर में भी त्रैमासिक रूप से प्रकरणों की सुनवायी की जा रही है।

बजट वर्ष 2014–15 में माननीय मुख्यमंत्री महोदया द्वारा बजट घोषणा के पैरा 407 की घोषणा के अनुसार कर बोर्ड द्वारा पारित समस्त निर्णयों का प्रदर्शन विभागीय वेबसाईट **www.taxboard.rajasthan.gov.in** पर माह जनवरी, 2014 से निरन्तर किया जा रहा है।

--------------------- -----------------------